



HEMWATI NANDAN BAHUGUNA UTTARAKHAND MEDICAL EDUCATION UNIVERSITY

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

New Hope Town (Sisambada), PO : Selaqui, Dehradun (India) न्यू हाप टाउन (सिसमबाडा), पत्रालय : सेलाकुई, देहरादून
Dehradun - 248 011, Uttarakhand (India), Phone: 0135-2723321 देहरादून-248011, उत्तराखण्ड (भारत), दूरभाष : 0135-2723321

पत्रांक: 1483/स्य०स्न०की० श्र०स्म०श्र०/2023-24

दिनांक: 14-09-2023

सहमति/अनापत्ति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साईसेज, श्यामपुर हरिद्वार नामक संस्थान ने वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून से सम्बद्धता हेतु आवेदन किया है।

विश्वविद्यालय अधिनियम के धारा 04 की उपधारा 02 के अनुपालन में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-169/XXVIII(6)23 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के माध्यम से उक्त संस्थान को नवीन पाठ्यक्रम बी०एस०सी० नर्सिंग- 40 (सीट) शैक्षिक सत्र 2023-24 के संचालन हेतु अनिवार्यता पत्र जारी किया गया है।

चूंकि संस्थान को नवीन पाठ्यक्रम बी०एस०सी० नर्सिंग- 40 (सीट) शैक्षिक सत्र 2023-24 की अस्थाई सम्बद्धता हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र अत्यन्त विलम्ब से प्राप्त हुआ है, अतएव हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, द्वारा निम्न शर्तों के अधीन नवीन पाठ्यक्रम से सम्बद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

1. संस्थान द्वारा मा० राज्यपाल महोदय के पत्रांक 1739/जी०एस०(शिक्षा)/ए०-135(1)/2017 दिनांक: 18 अगस्त, 2022 के अनुपालन में सत्रों में परिलक्षित विसंगतियों/कमियों के निराकरण कराये तथा सम्बद्धता आदेश के बिना छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा और ना ही विश्वविद्यालय द्वारा उक्त छात्रों की परीक्षाये सम्पादित की जायेगी। विश्वविद्यालय गठित निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान के निरीक्षण के पश्चात मा० राज्यपाल महोदय को प्रेषित निरीक्षण आख्या में जब तक मा० राज्यपाल महोदय द्वारा अन्तिम सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र निर्गत नहीं किया जाता, तब तक विश्वविद्यालय तथा एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग इन्स्टीट्यूशन, देहरादून की गतिमान काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भी आपके संस्थान को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु कराये गये निरीक्षण में कॉलेज, द्वारा समस्त निर्धारित मानक आई०एन०सी० के मानकानुसार करने होंगे।
3. सीटों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइज काउन्सिल/स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय की कार्यवाही की जाएगी।

कुलसचिव

हे०न०ब०उ० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।